


प्रृष्ठ 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (INDORE), मध्यप्रदेश

द्रवणापत्र:-

फैक्स:

ई-मेल:

दिनांक:-

क्रमांक:/261681329/स्कूल आई.डी. - 35167
प्रति,

प्रबंधक,

(ST JOSEPHS CONVENT SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया।

आपके आवेदन पत्र दिनांक 29/01/2019 तथा इस सबध मान्यता से प्रभावित होने व्यवहार नियमण के सदृश में, में आपकी स्कूल ST JOSEPHS CONVENT SCHOOL, 34271 BIJALPUR INDORE को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता है।

उपरोक्त सचिवत विम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यादीन होगी:-

- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांचय 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांचय 2) के उपबंधों का पालन करता है।
- स्कूल अपने पढ़ायां की सीमा के विचित्र समूह तथा कमज़ोर वयों के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस द्वारा में स्कूल यदि सहायता प्राप्त नहीं है तो इसमें प्रवेषित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देया जिस रूप में उसके वारिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वारिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम योग्यता के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पत्र स्कूल (पि स्कूल), शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 के उपधारा (1) के घण्ट (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- परं 3 मोनिटिंग बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल का पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी स्कूल कोई भी कोपिटरशेन फीस का सहर होनी करता तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करता-
 - (क) आयु के समूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मर्त्तवश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को आरीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क विशेष आवश्यकता वाले बालकों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निःशुल्क अन्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;

Signature Not
Verified

Digitally signed by

RAJENDRA MUKWANI

Date: 2019-1-26

17:53:44 IST

Reason: Digitally Signed

Location: NIC

अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

- स्कूल व्यारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयी:-

	सुविधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	220000	220000
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	63199	33199
11	खेल मंदिर का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	24000	24000

इ.

अधीसंरचना का विवरण

	Rooms as कक्ष		पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति		
			संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		31	455	31	455
2	कार्यालय कक्ष-सह-भेण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		17	455	17	455
3	भोजनालय-सह-भेण्डार		0	0	0	0

च.

अन्य सुविधाएँ

	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1 क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच वाधा रहित है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2 पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3 खेलकृत एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4 पुस्तकों की संख्या	5500	5500
5 पत्रिकाएं/समाचार पत्र	5	5
6 पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7 पेयजल सुविधा की संख्या	4	1
8 शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	Indian
9 लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	48	48
10 लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	48	48
11 विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12 क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्यारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..261681329.. एवं डाइसकोड (DISE) 23260101218 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्यारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्यारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला INDORE

मध्यप्रदेश

